केंद्रीय हिंदी निदेशालय

हिंदी में प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना

केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, द्वारा हिंदी लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी में प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है ।

(क) हिंदीमूलक पांडुलिपियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता योजना ।

इस योजना के अंतर्गत हिंदी में लिखे संदर्भग्रंथ, ज्ञान-विज्ञान, भाषा-विज्ञान, साहित्य, आलोचना, समाज, संस्कृति तथा किसी अन्य भाषा से हिंदी में अनूदित पांडुलिपियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है । उपन्यास, कथा-साहित्य, नाटक, काव्य की पांडुलिपियाँ तथा शोध-प्रबंध इस योजना के अंतर्गत विचारणीय नहीं हैं । यह योजना केवल लेखकों के लिए हैं, प्रकाशक इस के पात्र नहीं हैं । पांडुलिपि 100 पृष्ठ या उससे अधिक होना आवश्यक है ।

आवेदन की प्रक्रिया

आवेदक को विधिवत् भरा हुआ अपना आवेदन पत्र संबंधित पांडुलिपि की दो प्रतियों के साथ इस निदेशालय में 15.01.2014 तक प्रस्तुत करना होगा । अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे ।

आवेदन पत्र के लिए कृपया लिखें :-

निदेशक,
केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066

विस्तृत विवरण के लिए हमारी वेबसाइट देखें :- www.hindinideshalaya.nic.in